राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1(7)/चि.प्र./आरएमआरएस/2023/33 जयपुर, दिनांक : 03/03/2023

संशोधित राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी, राजस्थान, नियमावली–2018

राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी, राजस्थान की नियमावली का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। नियमावली 2018 जारी करने के उपरान्त मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिकित्सालयों मे रोगी भार बढने के साथ–साथ चिकित्सालयों में अन्य सुविधायें यथा MCH wing, SNCU, ICU, Oxigen Plant etc. का विस्तार हुआ है। जनता को सस्ता व गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु उक्त नियमावली 2018 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं :–

भाग–2 वित्तीय नियम

नियम–6 (वार्षिक बजट)

सोसायटी का वार्षिक बजट अनुमान दो भागों मे तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग मे वे सभी प्राप्तिया एवं व्यय दर्शाये जायेगे जो कि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा उनकी योजनाओं के क्रियान्वन हेतु किये गये है या सोसायटी को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराया गया है एवं उसी पर व्यय किया जाना है। द्वितीय भाग मे सोसायटी की स्वयं की आय, स्वास्थ्य बीमा योजना की प्राप्तियों एवं व्यय की गई राशि दर्शाई जायेगी। द्वितीय भाग मे दर्शाई जा रही कुल प्राप्तियों का व्यय नीचे दर्शाये गये मदों पर उनके सम्मुख उल्लेखित सीमा तक किये जा सकेगे।

1	चिकित्सालय/कॉटेज वार्ड/पार्क की सफाई, रख रखाव एवं अन्य सुविधाओं इत्यादि पर।	20 प्रतिशत
2	उपकरणों की ए.एम.सी इत्यादि हेतु (यदि ईउपकरण) मे सम्मिलित नही हो तो।	10 प्रतिशत
3	आपातकालीन स्थिति एवं घातक बीमारियों के रोगियों को निशुल्क दवा, जॉच व वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं आपातकालीन व विशेष परिस्थितियों में यदि मृतक व्यक्ति के परिजन रूपयों के अभाव में शव ले जाने में असमर्थ हो तो शव के परिवहन हेतु	5 प्रतिशत
4	नये चिकित्सालय उपकरणों की खरीद।	15 प्रतिशत *
5	सोसायटी द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय	10 प्रतिशत
6	सोसायटी के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय, जो क्र.स. 1 से 8 मे शामिल नही है।	5 प्रतिशत
7	निर्माण एवं मरम्मत	25 प्रतिशत
8	फ्लेक्सीपूल –विभिन्न स्वास्थ्य प्रोग्राम के नवाचार कार्ययोजना (Innovative Strategies)	10 प्रतिशत

* भाग–3 भण्डार नियम (क्रय नियम) के नियम–12 में उल्लेखित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जावेगा।

i. तालिका के बिन्दु संख्या 7 व 8 का व्यय जिला कलेक्टर की स्वीकृति उपरान्त किया जावे।

ii. साधारणतया सोसायटी का व्यय स्वीकृत बजट के अनुसार ही किया जायेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों मे कार्यकारिणी विभिन्न मदों मे स्वीकृत बजट को आवश्यकतानुसार मदवार 10 प्रतिशत तक पुर्नआवटित कर सकती है।

नियम–7

व्यय हेतु प्राधिकृत अधिकारी

सदस्य सचिव आवंटित बजट एवं कार्यकारिणी की बैठक मे ली गई स्वीकृतियों के आधार पर विभिन्न मदों मे धनराशि व्यय करने को अधिकृत होगे। आकस्मिक व्यय एवं दिन प्रतिदिन के खर्च हेतु सदस्य सचिव निम्नलिखित सीमा तक कार्यकारिणी की बिना पूर्व स्वीकृति के व्यय करने को अधिकृत होगे लेकिन इस व्यय की कार्योतर स्वीकृति कार्यकारिणी की आगामी बैठक मे ली जायेगी।

1	जिला स्तर पर एव 100 बिस्तर से अधिक वाले चिकित्सालय	2 लाख
2	30 से 100 बिस्तर वाले चिकित्सालय	1 लाख
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	50000

नियम–9

चैक आहरण के अधिकार

1. सोसायटी के बैक खाते से धनराशि चैक द्वारा आहरित करने का अधिकार निम्नानुसार होगे–

क्र.स	चिकित्सा संस्थान की श्रेणी	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव संयुक्त रूप से	सदस्य सचिव एवं लेखाकर्मी संयुक्तरूप से
1	जिला अस्पताल	2 लाख से अधिक	2 लाख तक
2	उपजिला अस्पताल/सैटेलाई	1 लाख से अधिक	1 लाख तक
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	50 हजार से अधिक	50 हजार तक

भाग –3 भण्डारण नियम

क्रय नियम

नियम–12

मशीन/उपकरण व अन्य तकनीकी सामान क्रय प्रक्रिया

चिकित्सालय के लिए विभिन्न मशीनों, उपकरणों व अन्य तक निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

1. सोसायटी स्तर पर मशीन/उपकरण एवं अन्य तकनीकी सामान निम्नानुसार होगी :–

क्र.स	चिकित्सा संस्थान का नाम	आय
1	जिला अस्पताल एवं सैटेलाईट अस्पताल	रूपये 15 लाख
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रूपये 5 लाख
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रूपये 0.50 लाख

i. उक्त सामान के संबंध में जिला कलेक्टर से स्वीकृति उपरान्त क्रय किया जावें।

ii. आरएमएससीएल की दर अनुबंध (RC) उपलब्ध है तो वहां से यदि RC नहीं है तो आरएमएससीएल की पूर्व की दर से तुलना कर क्रय किया जावें।

iii. ई–उपरकरण में इन्द्राज करने के उपरान्त भुगतान किया जावें।

iv. इस सीमा से अधिक राशि के उपकरण निदेशालय की पूर्वानुमति क्रय किये जायेगें।

राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी राजस्थान की नियमावली–2018 के शेष नियम यथावत रहेंगे।

(डॉ0 पृथ्वी)
शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: एफ1(7)/चि.प्र./आरएमआरएस/2023/33 जयपुर,दिनांक : 03/03/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान।
8. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, राजस्थान ।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर